प्रेस नोट **दिनांक 13.04.2026**

संगठित रुप से फर्जी बीएसए अधिकारी बनकर सरकारी शिक्षकों के साथ साइबर अपराध कारित करते हुए धन उगाही व आर्थिक अपराध करने वाले अन्तर्राज्जीय गिरोह का भंडाफोड़, दो शातिर अन्तर्राज्जीय साइबर अपराधी गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षम में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी पर वादिनी श्रीमती रोली पत्नी श्री चन्द्र प्रसाद कनौजिया निवासी रघौली थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा दिनांक 21.03.2026 को 16.25 बजे दी गयी इस लिखित सूचना पर की दिनांक 16.02.2026 को मेरी मां श्रीमती चिन्ता देवी पत्नी सुभाष चन्द्र निवासी मोहम्मदाबाद सिपाह थाना दोहरीघाट मऊ जो कि कम्पोजिट विद्यालय रियाव दोहरीघाट में सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्त है को दिन में करीब 14.30 बजे मो0न0 8353959023 से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके यह डराते हुए धमकाया गया कि लखनऊ में एक कैंसर पीड़ित अध्यापक है जिसकी वरीयता के आधार पर दोहरीघाट में नियुक्ति होनी है। यदि आप तत्काल भेजे गए स्कैनर पर पचास हजार रुपया जमा कर देंगी तो आपका ट्रान्सफर नहीं होगा नहीं तो आपका दोहरीघाट से लखनऊ ट्रान्सफर कर दिया जाएगा। जिस पर डर व भयवश उस काल करने वाले व्यक्ति के झांसे में आकर मेरे द्वारा अपने खाते से भेजे गये स्कैनर पर पचास हजार रुपया जमा किया गया था और जब उस मो0न0 8353959023 से सम्पर्क किया तो मोबाइल बन्द बताने लगा। जिस आधार पर थाना घोसी पर मु0अ0सं0 109/2026 धारा 308(2) बी.एन.एस. व 66 सी/66डी आईटी एक्ट अभियोंग में पंजीकृत किया गया था जिस पर एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था जिनके द्वारा विवेचना के दौरान भौतिक व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के सहयोग से मुकदमें में दो नाम क्रमशः नरेन्द्र पाल पुत्र प्रेमशंकर निवासी रहपुरा जागीर थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली व सौरभ पाल पुत्र महेन्द्र पाल निवासी सीवीगंज टेवुलिया थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली का नाम प्रकाश में आया। जिनकी गिरफ्तारी के लिए गठित उक्त टीम द्वारा लोकेशन के आधार पर जनपद बरेली से दिनांक 12.04.2026 की सायं करीब 18.00 बजे उक्त दोनों प्रकाश में आए अभियुक्तों को उनके घर से गिरफ्तार कर थाना घोसी लाकर आज दिनांक 13.04.2026 को सुबह 07.30 बजे दाखिल किया गया। पूछताछ में अभियुक्त नरेन्द्र पाल उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा इण्टरनेट पर प्रदेश में नियुक्त अध्यापकों के सम्बन्ध में न्यूज सर्च किया जाता है जिसमें यदि किसी अध्यापक के खिलाफ कोई शिकायत अथवा जांच प्रचलित होती है व किसी अध्यापक द्वारा स्थानान्तरण व अन्य प्रकरण प्रकाश में आता है तो मैं सम्बन्धित विद्यालय जिस ग्राम सभा में होता है उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान का नाम व मोबाइल नम्बर इण्टरनेट से प्राप्त कर फोन करता हूँ एवं उससे उस अध्यापक के विरुध्द जो भी शिकायत दर्ज होती है के सम्बन्ध में अपना नम्बर उस अध्यापक को यह कहते हुए कि मैं माध्यमिक

शिक्षा बोर्ड सचिव पीआरओ या बीएसए अधिकारी बात कर रहा हूँ देने के लिए कहता हूँ। फिर ग्राम प्रधान द्वारा मेरे झांसे में आकर अध्यापक को मेरा नम्बर दिया जाता है और उस अध्यापक द्वारा मेरे नम्बर पर जानकारी किये जाने हेतु फोन किया जाता है। तब मेरे द्वारा उसकी प्रचलित जांच को समाप्त कराने या जो भी अध्यापक की मांग होती है को पूरा करने हेतु रुपयों की मांग करता हूँ एवं व्हाट्सएप के माध्यम से स्कैनर भेज देता हूँ। जिस पर उस अध्यापक द्वारा मेरे इसी डराने धमकाने में आकर रुपये भेज दिये जाते है। अभियुक्त नरेन्द्र से पूछे जाने पर कि तुम किसके एकाउंट में पैसे मगाते हो तो बताया कि मैं अपने साथी सौरभ व एक और विक्रम के सहयोग से खाते का अरेन्जमेन्ट करा कर उनमें पैसे मगांता हूँ। जो कुछ कमीशन काट कर मुझे पैसे दे देते है। इसी कार्य में अभियुक्त सौरभ उपरोक्त द्वारा भी अपनी सहमति दर्ज करायी गयी। समस्त अभियुक्तगण द्वारा इसी प्रकार से लगभग 90 शिक्षकों के साथ उन्हे डरा धमका कर उनसे करीब डेढ से दो करोड़ रुपये की धनराशि की उगाही व ठगी की गयी है।

अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण

1. नरेन्द्र पाल पुत्र प्रेमशंकर निवासी रहपुरा जागीर थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली
2. सौरभ पाल पुत्र महेन्द्र पाल निवासी सीवीगंज टेवुलिया थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली

वांछित अभियुक्त का विवरण

1. विक्रम मिश्रा पुत्र प्रहलाद मिश्रा निवासी आर्य नगर दिल्ली

पंजीकृत अभियोग जिसमें गिरफ्तारी की गयी

1. मु0अ0सं0109/2026 धारा 308(2)/111(2) (ख) बी.एन.एस. व 66 सी/66डी आईटी एक्ट थाना घोसी, मऊ

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 105/2019 धारा 294ए/504/506 आईपीसी व 67 आईटी एक्ट थाना फतेहगंज ईस्ट जिला बरेली
2. मु0अ0सं0128/2019 धारा 294 ए/307/504/506 आईपीसी व 67 आईटी एक्ट थाना फतेहगंज ईस्ट जिला बरेली
3. मु0अ0सं0 244/2022 धारा 170/419 आईपीसी थाना लोहरु जिला भिवानी हरियाणा
4. मु0अ0सं0 290/2024 धारा 317(2)/318(2)/336(3)/338 बी.एन.एस. व 66 डी आईटी एक्ट थाना छपार जिला मुजफ्फर नगर
5. मु0अ0सं0 573/2025 धारा 318(4),351(4) बीएनएस थाना चांदपुर जिला बिजनौर
6. मु0अ0सं0109/2026 धारा 308(2)/111(2) (ख) बी.एन.एस. व 66 सी/66डी आईटी एक्ट थाना घोसी, मऊ

ग्राम काझाखुर्द मे निर्माणकार्य के विवाद को लेकर की गयी गम्भीर मारपीट की घटना मे इलाज के दौरान 01 व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से घटना मे संलिप्त 01 नफर वाछिंत गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा अपराध/अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिस राजपूत के कुशल निर्देशन मे व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री संजय सिंह के नेतृत्व में दिनांक 07.04.2026 को मु0अ0सं0 111/2026 अन्तर्गत धारा 191(2)/109(1)/ 115(2)/352/351(2)/333 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

उल्लेखनीय है कि ग्राम काझा खुर्द मे दिनांक 26.03.2026 को निर्माण कार्य के विवाद को लेकर लाठी डण्डा आदि से लैश होकर गम्भीर मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके क्रम मे दिनांक 26.03.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 111/2026 धारा 191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2), 333, 74, 309(6) बीएनएस बनाम नन्दलाल उर्फ पिन्टू आदि 23 नफर पंजीकृत किया गया। अस्पताल मे इलाज के दौरान मारपीट से गम्भीर रूप से घायल हरगोविन्द पुत्र सगुवर निवासी खाजापुर पोस्ट पलिगढ़ जिला मऊ की दिनांक 27.03.2026 को मृत्यु हो गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम विवेचना मु0अ0सं0 111/2026 धारा 191(2), 109(1), 103(1), 115(2), 352, 351(2), 333 बीएनएस बनाम आदि 23 नफर के विरूद्ध सम्पादित की गयी। जिसके क्रम मे 06 नफर अभियुक्तो को पहले ही गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा जा चुका है , शेष वाछिंत अभियुक्तो की तलाश व गिरफ्तारी हेतु थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम मे प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह मय हमराहियान के द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र रामप्यारे निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 26 वर्ष को महिन्द्रा एजेन्सी बड़ागांव के पास से समय करीब 08.20 बजे दिनांक 13.04.2026 को अन्तर्गत धारा 191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2), 333, 103(1) बी0एन0एस0 मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

नाम पता अभियुक्त -

1. राहुल कुमार पुत्र रामप्यारे निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोंग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 111/2026 अन्तर्गत धारा 191(2)/109(1)/ 115(2)/352/351(2)/333 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 103(1) बीएनएस

हत्या के प्रयास मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे स 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा अपराध/अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री

जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.04.2026 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर धरौली मोड हाईवे के पास से मु0अ0सं0 142/26 धारा 3(5), 109, 352, 333, 324(4), 351(2) बी.एन.एस में वांछित अभियुक्त मयंक सिंह पुत्र स्व0 सुनील सिंह निवासी रामपुर खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद तमंचा 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.04.2026 की रात्रि में ग्राम सोहड थाना घोसी के रहने वाले राकेश सिंह पुत्र विजय शंकर सिंह निवासी ग्राम सोहड थाना घोसी जनपद मऊ के दरवाजे पर चढ कर फायरिंग करने व तोड़ फोड करने पर उनकी लिखित सूचना पर थाना घोसी पर मु0अ0सं0 142/26 धारा 3(5), 109, 352, 333, 324(4), 351(2) बी.एन.एस बनाम 1. बृजेश यादव बाहुबली पुत्र राजेन्द्र यादव उमरपुर थाना घोसी मऊ, 2. मंयक सिंह पुत्र स्व0 सुनील सिंह ग्राम रामपुर चकजगरनाथ (खजुरही) थाना घोसी जनपद मऊ, 3. शुभम यादव पुत्र चन्दर यादव ग्राम बोझी (खाले का पूरा) 4. ओम सिंह पुत्र शिवचन्द सिंह ग्राम मुहम्मदपुर थाना घोसी मऊ व 5. कुछ अन्य लोग नाम पत्ता अज्ञात पंजीकृत किय गया था।

उक्त प्रकरण में बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0152/2026 धारा 3/25 Arms Act पंजीकृत अभियुक्त को चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1. मयंक सिंह पुत्र स्वा) सुनील सिंह नि) रामपुर खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत तथा अनवारणित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 142/2026 धारा 3(5), 109, 352, 333, 324(4), 351(2) बी.एन.एस. थाना घोसी
2. मु0अ0स0 152/2026 धारा 3/25 Arms Act. थाना घोसी जनपद मऊ-

बरामदगी विवरण-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस

गलती से भेजी गयी धनराशि 10,00000 (दस लाख) रुपये साइबर थाना द्वारा काराया गया वापस-

जनपद में साइबर ठगी/बैंकिंग त्रुटियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आवेदक द्वारा ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) की धनराशि यूपी बैंक ऑफ बड़ौदा (UPBOB) (जो वर्तमान समय में Uttar Pradesh Gramin Bank) बैंक घोसी शाखा के एक खाते में प्रेषित की जानी थी।

आवेदक संतोष कुमार मौर्या निवासी बड़ागाव बजार थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा प्राप्त विवरण में खाता संख्या तो सही थी, किन्तु आईएफएससी कोड गलत दर्ज हो गया। आवेदक ने घोसी (UPBOB) शाखा के स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) घोसी शाखा का आईएफएससी कोड अंकित कर दिया, जिसके कारण उक्त धनराशि गलत तरीके से जनपद अलवर स्थित एक अन्य खाते में स्थानांतरित हो गई।

जैसे ही आवेदक को इस त्रुटि की जानकारी हुई, उन्होंने तत्काल अपने बैंक एवं साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बैंक एवं साइबर थाना द्वारा त्वरित एवं समन्वित कार्यवाही की गई। परिणामस्वरूप, मात्र 03 सप्ताह के भीतर पूरी धनराशि आवेदक के खाते में सुरक्षित रूप से वापस करा दी गई।

जनसामान्य हेतु महत्वपूर्ण जागरूकता संदेश:

1. लेन-देन से पूर्व सत्यापन करें

खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड को कम से कम दो बार अवश्य जांच लें।

2. छोटी राशि से परीक्षण करें

बड़ी राशि भेजने से पहले ₹1 या ₹100 ट्रांसफर कर पुष्टि कर लें।

3. गलती होने पर तुरंत कार्रवाई करें

o अपने बैंक को तुरंत सूचित करें

o साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें

o निकटतम साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराएं

4. समय पर शिकायत से बच सकता है नुकसान

त्वरित सूचना देने से गलत खाते में गई धनराशि को रोका/वापस कराया जा सकता है।

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 10,000/- (दस हजार) रुपये थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना हलधरपुर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 10,000 /- (दस हजार) रुयपये बलवंत यादव निवासी धार्मगतपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ की कुल 10,000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना हलधरपुर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 13.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं जनपद के समस्त थानो द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, बिना वैध कागजात, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग की गयी।

अभियान के अंतर्गत 45 टीम गठित कर जनपद के 41 स्थानों पर बदल बदलकर 1500 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 427 वाहनों को विभिन्न धारोओ में चालान एवं 01 वाहन सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।